

२५/९/२५

अधिवक्तागण उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र नौप्रेस किया। वादीगण अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादीगण का वादपत्र नौप्रेस करने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विगति लेकर नम्बर से कम लेकर नखिल दफ्तर हो।

Note  
press

pe/m  
24/9/25



सहायक ~~जज~~ एवं पदेन  
उपर ~~जज~~ अधिकारी  
निकरणपुर (श्रीमानगर)